न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 59/2024

GCMS No. : 2024/328

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. अजय माहेश्वरी पुत्र नन्द किशोर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी बगडी रोड सोजत रोड पाली मैसर्स वी.एस. एजेन्सी बगडी रोड सोजत रोड पाली (फर्म मैनेजर) 2. शिखा माहेश्वरी पत्नी अजय कुमार मैसर्स वी.एस. एजेन्सी बगडी रोड सोजत रोड पाली (फर्म मालिक) 3. मैसर्स श्री सरास्वत मार्केटिग E-11 Ground Floor Safal-6 Opp Hanumanpura BRTS Dudheshwar Road Shahibaugh Ahmedabad Gujrat 38001 मो.न. 9898086016

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार।

–: निर्णय :–

दिनांक: 10/03/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित होने से प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य

अति. जिला कलेक्टर, पाली

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 25.10.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स वी.एस. ऐजेन्सी बगडी रोड सोजत रोड पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम अजय माहेश्वरी पुत्र नन्द किशोर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी बगडी रोड सोजत रोड पाली बताया एवं स्वयं को फर्म मैनेजर होना बताया। फर्म के निरीक्षण के दौरान गोदाम में घी देवास ब्रान्ड अलग अलग पैकेटों में रखा हुआ था, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल का नमुना लेने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में मेरे साथ आये आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 560/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2169 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 ने घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल के खरीद से संबंधित दस्तावेज पेश किये जो अप्रार्थी संख्या 03 से संबधित थे। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल का नमुना संख्या आर–2169 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/2852/एक्ट/2023/2977 दिनांक 16.11.20234 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थीगण के जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना

अति. जिला कलेक्टर, पाली

चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। उक्त अवधि पूर्ण होने से प्रकरण श्रीमान के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी ने घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल का विक्रय अप्रार्थी संख्या 03 से किया है तथा जिस अवस्था में क्रय किया जाता है उसी स्थिति में आमजन को विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 की उपधारा (2) एवं (3) के अनुसार उक्त अवमानक स्तर के घी के लिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जिम्मेदार नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 व 02 दोषी नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.10.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म मैसर्स वी.एस. ऐजेन्सी बगडी रोड सोजत रोड पाली से घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2169 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल का नमुना कोड संख्या आर–2169 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की फर्म से लिया गया घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया, जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को भिजवायी गयी जिसे एक माह से ज्यादा समय व्यतित हो जाने पर भी अप्रार्थीगण द्वारा फर्म से लिये गये घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल की पुनः जाचं करवाने हेतु कोई आवेदन/अपील पेश नहीं कि जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म गोदाम से घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने अवमानक स्तर के घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल का विक्रय/वितरण/उत्पादन किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी ब्रान्ड देवास 200 एमएल का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 व 02 पर 50,000/—रूपये अक्षरे पच्चास हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 03 पर 2,50,000/— रूपये अक्षरे दो लाख पच्चास रूपये कुल 3,00,000 अक्षरे तीन लाख पच्चास हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 10/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली